



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2006/फाल्गुन 12, 1927

No. 41]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2006/PHALGUNA 12, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2006

जांच-प्रारम्भ

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन, जन.गण, हांगकांग तथा चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम परमगनेट पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का प्रारम्भ।

सं० 15/5/2006-डीजीएडी:- जबकि वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण, हांगकांग तथा चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से पोटेशियम परमगनेट (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की दिनांक 8 सितंबर, 2001 की अधिसूचना द्वारा सिफारिश की थी और यह शुल्क दिनांक 27.5.2003 की अधिसूचना सं० 85/2003-सीमाशुल्क द्वारा यथासंशोधित दिनांक 1.11.2001 की अधिसूचना सं० 113/2001 के ज़रिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा लगाया गया था।

और जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 3 जून, 2005 की अधिसूचना द्वारा सिफारिश की थी कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए रखना जारी रखा जाए और चीनी ताइपेई तथा हांगकांग से हुए आयातों पर शुल्क समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित शुल्क दिनांक 14.9.2005 की अधिसूचना सं० 82/2005-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया और यह शुल्क दिनांक 11 मार्च, 2006 तक अब भी लागू है।

## 2. समीक्षा के लिए अनुरोध

जबकि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे रद्द न किए जाए, उसके लागू होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो गया माना जाएगा ।

और जबकि उपरोक्त नियमावली में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह पाटनरोधी शुल्क लगाए रखे जाने की निरंतरता की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करे और यदि वह संतुष्ट हो जाए तो इस बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कि ऐसा शुल्क लगाए रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसी स्थिति में प्राधिकारी उसे वापस लिए जाने के बारे में केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकेगा । उपरोक्त उपबंध के होते हुए भी प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए पर्याप्त अनुरोध के आधार पर उक्त उपाय की समयावधि की तारीख से पहले की यथोचित समयावधि के भीतर समीक्षा करे कि क्या यह शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

उपरोक्त उपबंधों के अनुसार एक घरेलू उत्पादक अर्थात् मै0 यूनिवर्सल केमिकल्स लि0 जिसका संबद्ध माल के घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा होता है, ने ऐसी समीक्षा किए जाने हेतु अनुरोध करते हुए विधिवत् साबित करते हुए एक याचिका प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है । निर्दिष्ट प्राधिकारी समझता है कि इस समय लागू पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा कार्यवाही आरंभ करना ऐसे शुल्क लगाए रखे जाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए यथोचित नहीं होगा जिससे पाटन समाप्त किया जा सके और यह भी कि यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाए अथवा उसमें घटबढ़ की जाए अथवा दोनों ही कर दिए जाएं तो क्या ऐसी स्थिति में क्षति होती रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

## 3. समीक्षा हेतु आधार

लागू पाटनरोधी शुल्क को रखने जाने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि पाटन चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से पाटन अब भी जारी है और इन उपायों को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हो रहे पाटन तथा क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी ।

आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का दावा किया है कि चीन के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में माल का पाटन करते रहना जारी रखा है हालांकि लागू पाटनरोधी शुल्क के मद्देनजर उसकी मात्रा में गिरावट आई है वह भी इस तथ्य

के बावजूद कि उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। अतः यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं तो पाटन और अधिक हो जाएगा।

आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध माल की मौजूदा क्षमता उनकी घरेलू मांग की तुलना में कहीं अधिक है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के बाद पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना बढ़ जाती है।

#### 4. जांच प्रारंभ

प्राधिकारी, समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि के साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एतद्वारा समीक्षा प्रारंभ करता है जिसके अनुसार दिनांक 14.9.2005 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 82/2005-सीमाशुल्क द्वारा पोटेशियम परमगनेट पर लगाए गए मौजूदा शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।

#### 5. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा समीक्षा जांच में शामिल विचाराधीन उत्पाद पोटेशियम परमगनेट है जोकि एक अकार्बनिक रसायन होता है। पोटेशियम परमगनेट एक डार्क परपल क्रिस्टलीन माल होता है। यह मैंगनीज, पोटेशियम तथा ऑक्सीजन का एक मिश्रण होता है। यह उत्पाद बिना सुगंध वाला और पानी में घुलनशील होता है। पोटेशियम परमगनेट का रासायनिक फार्मूला केएमएनओ<sub>4</sub> है। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं0 2841.61 के तहत वर्गीकृत है। लेकिन, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक होता है और मौजूदा जांच के दायरे पर इसकी कोई बाध्यता नहीं है।

#### 6. प्रक्रिया

यह जांच इस बात का निर्धारण करेगी कि क्या उक्त उपाय के समाप्त होने से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। प्राधिकारी इस बात की जांच करेगा कि क्या इन शुल्कों को जारी रखा जाना पाटन को समाप्त करने के लिए आवश्यक है और यह भी कि क्या यदि उक्त शुल्क समाप्त कर दिस जाते अथवा उनमें घटबढ़ की जाए अथवा दोनों ही उपाय किए जाएं तो क्या ऐसी स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- (i) इस जांच में अधिसूचना सं0 15/2/2004-डीजीएडी, दिनांक 3 जून, 2005 के सभी पहलू कवर होंगे;

- (ii) इस जांच में शामिल देश चीन जन गण है;
- (iii) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि दिनांक 1.10.2004 से 30.9.2005 तक की अवधि होगी;
- (iv) उपरोक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित इस समीक्षा में लागू होंगे ।

### 6.1 जानकारी की प्रस्तुति

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास की मार्फत उनकी सरकार, भारत में संबंधित ज्ञात आयातकों तथा प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग कहा जा रहा है कि वे निर्धारित रूप तथा तरीके में संगत जानकारी प्रस्तुत करें और अपने-अपने विचार निम्नलिखित पते पर भेज दें :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,  
भारत सरकार,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग,  
उद्योग भवन,  
नई दिल्ली-110011.

कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी अपना निवेदन इस जांच के संगत निर्धारित रूप तथा तरीके में निर्धारित समयावधि के भीतर कर सकेगा ।

### 6.2 समय-सीमा

मौजूदा समीक्षा संबंधी कोई भी जानकारी और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित रूप में भेजा जाए जो प्राधिकारी को उपरोक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस(40) दिनों के भीतर पहुंच जाए । यदि इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त जानकारी अपूर्ण होती है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी उपरोक्त पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच-परिणाम रिकॉर्ड कर सकेगा ।

### 6.3 अगोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

नियम 6(7) के अनुसार, इच्छुक पक्षकारों से यह अपेक्षा है कि वे अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी भी गोपनीय जानकारी के अगोपनीय अंश

को प्रस्तुत कर दे और यदि ऐसी जानकारी देना पक्षकार की राय में ऐसा लगता है कि उसका सारांश देना अति संवेदनशील है तो तब उसके कारण का एक विवरण-पत्र देना आवश्यक होगा। यदि जहां कोई इच्छुक पक्षकार आवश्यक जानकारी यथोचित समयावधि के भीतर देने से मनाही करता है अथवा अन्यथा नहीं देता है अथवा जांच में बाधा पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच-परिणाम प्रदान कर सकेगा और वह केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा जैसाकि वह उचित समझे।

#### 6.4 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

कोई भी इच्छुक पक्षकार नियम 6(7) के अनुसार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकेगा जिसमें अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश उपलब्ध होगा।

क्रिस्टी एल. फर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2006

Initiation

(Sunset Review)

**Subject : Initiation of Mid-term Review of the definitive anti-dumping duty imposed on Potassium Permanganate originating in or exported from China P.R., Hong Kong and Chinese Taipei.**

**No. 15/5/2006-DGAD :-** Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of definitive Anti Dumping Duty on imports of Potassium Permanganate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China P.R., Hong Kong and Chinese Taipei, vide notification dated 8<sup>th</sup> Sept 2001 and duty was imposed by Customs vide Notification No: 113/2001 dated 01.11.2001 as amended by Notification No: 85/2003-Customs dated 27.05.2003.

And whereas vide notification dated 3<sup>rd</sup> June 2005 the designated Authority recommended continued imposition of antidumping duty on the subject goods originating in or exported from China PR and recommended revocation of duty against imports from Chinese Taipei and Hong Kong. Revised duty was imposed by the Central Government vide notification No 82/2005-Cus dated 14.09.2005 and the said duty is in force till 11<sup>th</sup> March 2006.

#### 2. Request for Review

WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

624 GI/06-2

AND WHEREAS the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the central government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

In terms of the above provisions, M/s Universal Chemicals Ltd, one of the domestic producers, commanding a major proportion of the domestic production of the subject goods, has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for such a review, the Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were remove or varied or both.

### **3. Grounds for review**

The request is for continuation of the antidumping duties in force based on the grounds that dumping has continued from China PR (herein after referred as the subject country) and the expiry of the measure would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The applicant has inter-alia claimed that the Chinese exporters have continued to dump the goods in the Indian market, though the volume has declined in view of the antidumping duty in force, in spite of the fact that the cost of production has significantly increased. Therefore, dumping would be intensified should the present antidumping duty be revoked.

The applicant further claims that the existing capacities of the subject goods in the subject countries far exceed their domestic demands, which increases the likelihood of recurrence of dumping once the antidumping duty is removed.

### **4. Initiation**

Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 a (5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of the duty in force against potassium permanganate, imposed vide Customs Notification 82/2005-Cus dated 14.09.2005

### **5. Product under consideration**

The product under consideration in the present review investigation is Potassium Permanganate, which is an inorganic chemical. Potassium Permanganate is a dark purple crystalline material. It is a compound of manganese, potassium and oxygen. The product is odourless and soluble in water. The chemical formula of Potassium

Permanganate is  $KmnO_4$ . The product is classified under custom sub-heading 2841.61 of the Custom Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

## 6. Procedure

The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No. 15/2/2004-DGAD dated 3<sup>rd</sup> June 2005;
- (ii) The country involved in this investigation is the Peoples Republic of China;
- (iii) The period of investigation for the purpose of the present review is from 01.10.2004 to 30.09.2005;
- (iv) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

### 6.1 Submission of Information:

The exporters in subject country, the government of Peoples Republic of China through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

**The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Government of India  
Ministry of Commerce and Industry  
Department of Commerce  
Udyog Bhavan  
New Delhi-110011.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

### 6.2 Time Limit:

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is

incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

### **6.3 Submission of information on Non-confidential basis:**

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

### **6.4 Inspection of public file:**

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7).

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority